

मिसल दिनांक 16/11/24 को पेश हो।

२

2019/20 - 2020/21 का पत्र पेश
कर करके 20 दिनों की अवधि की
माती 16/11/24 से शुरू करके
20 दिनों का अवधि 20 दिनों का
अर्थ 1 अर्थ 2 अर्थ 3 अर्थ 4 अर्थ 5

प्राधिकार वही कर दिया जाता है तथा पचासवीं
 भाग में भी वह भी जाती है। वही कर प्राधिकार
 हुनी गई। बहुत ही मन में दिया गया। पचासवीं पर
 उपलब्ध तथ्य मदा रिपोर्ट की जांच रिपोर्ट का
 प्राधिकार कर के पत्र में प्रस्तुत दाता प्रजाता का
 किया गया। समस्त विवरण के प्राधिकार का प्राधिकार
 ही कर दिया जाता है तथा तथ्य मदा रिपोर्ट में
 प्रस्ताव दिया जाता है कि मंजूर होकर प्रस्ताव
 अंश नं. 59 रकम 0.0100 हेक्टर, अंश नं. 60
 रकम 3.5700 हेक्टर, अंश नं. 27 रकम
 1.5100 हेक्टर, अंश नं. 31 रकम 1.1200 हेक्टर
 अंश नं. 33 रकम 0.0100 हेक्टर, अंश नं. 34
 रकम 2.9600 हेक्टर की शर्त में प्राधिकार
 नाम गिरधारी पुत्र काण्ठ के स्थान पर गोविंदराम
 पुत्र काण्ठराम शर्मा का राजस्व बेकाई को उक्त
 दिया जावे। शर्त का प्रत्यक्ष ही लक्ष्मीरत लक्ष्मींदार
 रिपोर्ट की जांच हो। विवरण का प्रमाण व
 मंजूर होकर आदेश कार्यालयी नं. 2000
 अंश नं. 2000 आदेश कार्यालयी नं. 2000
 अंश नं. 2000 आदेश कार्यालयी नं. 2000

उपखण्ड अधिकारी रियांबडी
 जिला-नागौर